न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 70/2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. गजेसिंह पुत्र भीखसिंह 2. रतनसिंह पुत्र भीखसिंह 3. बाबूसिंह पुत्र गणपतसिंह 4. शेरसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति– राजपूत निवासी– नौसर तहसील बायतू जिला बालोतरां		1. उदयसिंह पुत्र धूडसिंह 2. चैनसिंह पुत्र धूडसिंह जाति– राजपूत निवासी– नौसर तहसील बायतू जिला बालोतरां 3. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 15.03.2021 जो जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 37/2019 अनवान उदयसिंह वगैराह बनाम राज0 सरकार वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री मनोहरसिंह अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1,2, की ओर से
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

निर्णय

दिनांक 01 अप्रेल, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत एक अपील प्रस्तुत पेश की कि मौजा गिरली कितपाला के ख0सं0 48, 49, 28, 75/5 रकबा कमशः 22.14, 41.01, 06.09 एवं 30.00 बीघा भूमि धूडसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति राजपूत सा0 नौसर के खातेदारी मे दर्ज थी। दिनांक 4.12.1978 के अभियान के दौरान पटवारी हल्का द्वारा बयान लेने के बाद भीखसिंह पुत्र बिशनसिंह 1/2 नाम दर्ज करने का आदेश दिये जाने के अनुसरण में नामा0 संख्या 104 धूडसिंह पुत्र बिशनसिंह 1/2, भीखसिंह पुत्र बिशनसिंह 1/2 के नाम नामा0 में दर्ज करते हुए पेश किया जिसे ना0 तहसीलदार बाडमेर के द्वारा दिनांक 4.12.1978 को स्वीकृत किया गया है वो नियम विरूद्ध स्वीकृत होने से उसे निरस्त किया जावें।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गई एकपक्षीय बहस को सुना गया। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि उल्लेखित नामा0 संख्या 104 के स्वीकृत होने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में यही इन्द्राज लगातार चलते रहे एवं धूडसिंह व भीखसिंह दोनों को स्वर्गवास हो गया तब उनके फौतेदगी नामा0 के जरिये उनके वारिसों के नाम विरासत में दर्ज हो गये। उक्त नामा0 के विरूद्ध उनके वारिसान ने वर्ष 2019 में एक अपील प्रस्तुत की जिसें अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक व दो की कयासी दलीलों के आधार पर स्वीकार कर नामा0 संख्या 104 को निरस्त कर दिया जो विधि विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 104 जो कि भीखसिंह व धूडसिंह के बयान दर्ज करते हुए आपसी सहमति से ना0 तहसीलदार के द्वारा स्वीकृत किया गया था। तब से लेकर लगातार पक्षकारान अपने कब्जे अनुसार काबिज चले आ रहे है तथा पक्षकारान एवं उनके वर्तमान वारिसान को उक्त इन्द्राजों का ज्ञान उसी समय से हो रखा था फिर भी गलत तथ्यों के आधार पर वर्ष 2919 में लम्बे समय बाद प्रथम अपील पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर निर्णित करते हुए स्वीकार कर ली। प्रथम अपील जो कि पूर्ण रूप से म्याद बाहर थी, को कृत्रिम आधारों पर अन्दर मियाद शुमार कर दिया जबकि ऐसे में प्रकरणों में धारा 03 मियाद अधिनियम के प्रावधान बाध्यकारी है एवं अपील को मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज किया जाना था। उल्लेखित नामा0 पक्षकारान की सहमति से तथा बयान दर्ज करने के उपरान्त स्वीकृत हुआ और वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि थी जिसमें एक भाई का ही नाम दर्ज किया गया था तब दर्ज भाई द्वारा दूसरे भाई का भी नाम दर्ज करवाने हेतु अपनी सहमति देते हुए राजस्व अभियान में आवेदन किया और दोनों के नाम नामा0 में दर्ज करवाये गये थे। ऐसे में अधीनस्थ न्ययालय के समक्ष एकमात्र भाई के द्वारा प्रथम अपील पेश कर दी गई जिसे स्वीकार करने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया था।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 104 को मूल खातेदारान द्वारा कभी भी अपने जीवनकाल में चुनौती पेश नहीं की गई, मूल खातेदार के फौत होने पर उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम नामा0 संख्या 211 दिनांक 5.10.2004 को विरासत में दर्ज की गई जो वर्तमान तक दर्ज है। सहमति वाले प्रकरणों को निर्णित करने के उपरान्त उन्हें किसी न्यायालय में चुनौती पेश नहीं की जा सकती है और

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

न ही न्यायालय ऐसे में मामलों में सुनवाई कर सकते है। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा वर्तमान मामले में सहमति से पारित आदेश को भी आज दिन तक चुनौती नहीं दी है तो ऐसे में उस आदेश के आधार पर स्वीकृत किये गये नामा0 को जरिये अपील के कैसे निरस्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामा0 की कार्यवाही को शून्य मानने में भंयकर भूल कारित नहीं की है क्योंकि पैतृक सम्पति में एक भाई का नाम दर्ज होना रह जाने से नामा0 की कार्यवाही की गई थी। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील, जो पूर्ण रूप से मियाद बाहर थी, के तहत अपीलाधीन नामा0 को बिना किसी कारण के दर्शाये ही निरस्त कर दिया गया है जो अपीलाधीन आदेश काननून एवं विधि विपरित होने निरस्त किया जावे एवं नामा0 संख्या 104 को यथावत बहाल रखा जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता ने कथन किया कि उनके पिता धूडसिंह के नाम से उल्लेखित खसरान भूमि की खातेदारी दर्ज थी जो धूडसिंह को खुदकाश्त के रूप में वक्त सेटलमेन्ट खातेदारी में मिली थी तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पर्चा लगान भी जारी किया गया था। ना0 तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अभियान के दौरान दिनांक 4.12.1978 को नामा0 संख्या 104 में धूडसिंह की भूमि में से अपीलान्ट के पिता भीखसिंह को 1/2 हिस्सा रेकर्ड मे अमल दरामद कर दिया जबकि ना0 तहसीलदार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था एवं इसका कानून में कोई प्रभाव नहीं है। उक्त भूमि धूडसिंह की खातेदारी भूमि थी जिसे नामा0 कार्यवाही के जरिये खारिज नहीं किया जा सकता था। किसी प्रकार की खातेदारी भूमि में कोई अन्य पक्षकार अपना हक अथवा दावा करता है तो उसके लिये समक्ष न्यायालय में खातेदारी घोषणा दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिये था एवं सक्षम साक्ष्य के द्वारा ही खातेदारी घोषित करवाकर खातेदार बन सकता है परन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है। महज ना0 तहसीलदार के समक्ष जाकर यह बताते हुए कि उक्त भूमि में हमारा हिस्सा है, के आधार पर नाम दर्ज करवा लिया, ऐसी कार्यवाही एवं ऐसा नामा0 आदेश अवैध होने से शुरू से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना0 तहसीलदार के द्वारा स्वीकृत नामा0 को निरस्त किया गया है, वो न्यायोचित है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा समय सीमा का जो प्रश्न किया है वो भी उचित नहीं है क्योंकि उक्त आदेश शुरू से शून्य है जिसकी कानून में कोई महत्ता नहीं है और मियाद अधिनियम लागू नहीं हो सकता है जैसाकि राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायिक निर्णय नारायण बनाम स्टेट ऑफ राज0 आरआरडी

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

1992 पेज 173 में अंकित किया गया है। पटवारी हल्का ने नामा0 के कॉलम संख्या 14 में पटवारी हल्का ने अंकित किया है कि "आज दिनांक 4.12.1978 को अभियान के दौरान बयान लेने के बाद भीखसिंह पुत्र बिशनसिंह का नाम 1/2 नाम दर्ज करने का आदेश दिया है, लेकिन यह कही पर भी वर्णित नहीं किया है उक्त बयान किस सक्षम न्यायालय के द्वारा प्रकरण में लिये गये है व कब आदेश दिये गये है। महज ऐसा लिख देने से किसी खातेदारी निरस्त/कम नहीं की जा सकती है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त विवादित भूमि अपीलान्ट की पुश्तैनी भूमि होती तो उक्त पुश्तेनी भूमि बाबत प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता जिससे कथनों की पुष्टि होती होकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस के दादा विशनसिंह की भूमि थी और पत्रावली पर भी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं आया था। उक्त विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता धूडसिंह की खातेदारी भूमि है जिसमें अन्य व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्लू 1997 (2) पेज 968 में यह प्रतिपादित किया है कि क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किये गये निर्णय/डिक्री जो प्रारम्भ से ही शून्य होते है, ऐसे निर्णय/डिक्री को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अतः उल्लेखित समस्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील सारहीन होने व आधारहीन होने से अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2021 को बहाल रखा जावें।

हमने अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 104 को प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष चुनौती पेश की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर उल्लेखित नामा0 को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज अध्यतन करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है। अपीलाधीन नामा0 संख्या 104 जो कि वर्ष 1978 में दिनांक 04.12.1978 को पक्षकारान के पूर्वज भीखसिंह एवं धूडसिंह के नाम अंकित करते हुए ना0 तहसीलदार बाडमेर के द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त नामा0 के स्वीकृत होने के उपरान्त धूडसिंह एवं भीखसिंह का देहान्त हो जाना तथा फौतेदगी नामा0 भी वर्तमान पक्षकारान के नाम खोला जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होना प्रतीत होता है। नामा0 संख्या 104 में दर्ज खातेदार के द्वारा उक्त नामा0 को अपने जीवनकाल में कहीं भी चुनौती पेश नहीं किया जाना प्रकट है। वर्ष 1978

प्रभागीय आयुक्त
जोधपुर

से वर्ष 2019 यानि 41 वर्ष पश्चात खातेदार धूडसिंह के वारिसान के द्वारा प्रथम अपील के जरिये नामा0 को चुनौती दी गई है। जबकि नामा0 संख्या 211 दिनांक 5.10.2004 को स्वीकृत करने के समय भी उल्लेखित नामों का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो रखा था जिनकी जानकारी रेस्पो0 संख्या एक व दो एवं अपीलान्ट को होना परिलक्षित होती है, ऐसे में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा उक्त दिनांक 5.10.2004 के पश्चात वर्ष 2019 में जाकर प्रथम अपील दायर करना और इतने लम्बे समय तक अपीलाधीन नामा0 की जानकारी न होना मानने योग्य नहीं हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील को अन्दर मियाद मानने में भी विधिक त्रुटि की है।

इसके अतिरिक्त उल्लेखित नामा0 संख्या 104 जो कि राजस्व अभियान कैम्प डण्डाली, बाडमेर में तहसीलदार बाडमेर के समक्ष खातेदार भीखसिंह व धूडसिंह के द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रार्थनापत्र पेश करते हुए उल्लेखित खसरा भूमि में 1/2– 1/2 हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया जाना प्रकट होता है जिस पर तत्कालीन अधिकारी के द्वारा " श्री भीखसिंह/रिपोर्ट अनुसार उनके भाई धूडसिंह वल्द विशनसिंह के बयानात लिये जाकर रिपोर्ट संलग्न किये गये। हस्ब बयानात धूडसिंह के उक्त आराजी के ख0सं0 मौजा गिरली किंतपाल में आधे भाग पर धूडसिंह 1/2 व आधे भाग पर भीखसिंह 1/2 पि0 बिशनसिंह के नाम दर्ज होकर खातेदार दर्ज करने हेतु नामान्तरकरण खोला जाकर आज ही मेरे सक्षम वास्ते स्वीकृति के पेश करें।" के निर्देश दिये होना पाया गया है तथा तहसीलदार सिणधरी की ओर से प्रेषित अपीलाधीन मूल नामा0 संख्या 104 के संलग्न ना0 तहसीलदार बाडमेर के द्वारा पक्षकारान के पूर्वज धूडसिंह व भीखसिंह के लिये गये बयानात की छायाप्रति से भी ऐसी नामा0 की कार्यवाही करने हेतु सहमति होना पाया गया है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 104 को धूडसिंह के द्वारा अपनी सहमति व बयान के आधार पर अपने भाई के नाम से भी उल्लेखित भूमि में आधा हिस्सा दर्ज करने की प्रार्थना नहीं की गई थी, उक्त नामा0 दोनों भाईयो यथा धूडसिंह व भीखसिंह के द्वारा सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश होने पर ना0 तहसीलदार के द्वारा प्रार्थना पर दिये गये आदेश के अनुसार स्वीकृत किया गया है। ऐसे में तत्कालीन ना0 तहसीलदार, बाडमेर के द्वारा पक्षकारान की ओर से दिनांक 04.12.1978 को पेश प्रार्थना पत्र पर दिये गये आदेश को चुनौती देकर उसे निरस्त अथवा शून्य घोषित नहीं करवाया जाता तब तक उसकी पालना में दायर नामा0 संख्या 104 को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर नहीं किया

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

और न ही उनके द्वारा उल्लेखित कार्यवाही के सम्बन्ध में भूमिधारी/तहसीलदार से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा दर्शाये गये अपीलीय कारणों पर गौर करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 104 को प्रारम्भ से अवैध व शून्य मानते हुए निरस्त करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में उल्लेखित समस्त तथ्यों पर गहनतापूर्वक गौर करने एवं उल्लेखित दस्तावेजों पर अवलोकन करने के उपरान्त हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य होने तथा जिला कलेक्टर, बाडमेर न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2021 को निरस्त किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार की जाती है एवं जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2021 को निरस्त किया जाता है एवं अपीलाधीन नामा0 संख्या 104 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज 01 अप्रेल, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर